फैक्स/निबंधित डाक से
महत्वपूर्ण

पत्र संख्या–बजट–02/रा0, 2014–15.02आर्थ./रा0

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/
विशेष सचिव –सह–निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग/
प्रभारी प्रमंडलीय राजभाषा उपनिदेशक–सह– प्रमंडलायुक्त के सचिव, पटना प्रमंडल, पटना / तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/मगध प्रमंडल, गया/सारण प्रमंडल, छपरा/कोशी प्रमंडल, सहरसा/ भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।

पटना, दिनांक–6·5·14

विषयः– बजट शीर्ष– "2053– जिला प्रशासन–094–अन्य स्थापनाएँ–0008–राजभाषा स्थापना – 'मांग संख्या–04 तथा विपत्र कोड–"एन0 2053000940008" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 की प्रथम चौमाही के लिए राशि का आबंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक द्वितीय राजभाशा (उर्दू) के अधीन उर्दू निदेशालय तथा राज्य के समाहरणालय , अनुमंडल कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालयों के उर्दू भाषा कोषांग में पदस्थापित एवं कार्यरत उर्दू अनुवादकों, सहायक उर्दू अनुवादकों, उर्दू–हिन्दी टंककों एवं कार्यालय परिचारियों के वेतनादि के भुगतान तथा इस विभाग के ज्ञापांक–116/रा०,दिनांक– 30.05.2008 के आलोक में उर्दू निदेशालय/जिला स्तरीय "उर्दू भाषा प्रशिक्षण केन्द्र" के संचालन और प्रमंडलीय राजभाषा कार्यालयों की स्थापना एवं अन्य आनुषंगिक व्यय हेतु निदेशानुसार चालू वित्तीय वर्श–2014–15 के लिए निम्न रूप में (प्रमंडलवार/जिलावार आवंटन सूची के अनुसार) राशि आबंटित की जाती है :–

कोड	इकाईयाँ/उप इकाईयाँ	आय–व्ययक अनुमान (2014–15)	आय–व्ययक अनुमान का 33.33%	प्रथम चौमाही के लिए कुल आवंटन
1	2	3		4
01 01	वेतन	218072000	72683398	**72580000**
01 03	जी0या0भत्ता	222434000	74137252	**72580000**
01 04	मकान भत्ता	24528000	8175182	**7282000**
01 05	परिवहन भत्ता	267000	88991	**88000**
01 06	चिकित्सा भत्ता	2254000	751258	**716400**
01 07	अन्य भत्ता	17000	5666	**5600**
	कुल वेतन	**46,75,72,000**	**15,58,41,747**	**15,32,52,000**
06 01	चिकित्सा प्रतिपूत्ति	500000	166650	**0**
11 01	यात्रा व्यय	150000	49995	**0**
13 01	कार्यालय व्यय	150000	49995	**49000**
13 06	वर्दी/पोशाक	69000	22998	**22500**
28 01	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	20000	6666	**6,600**
	कुल योग	**46,84,61,000**	**15,61,38,051**	**15,33,30,100**

(कुल आबंटित राशिः–पन्द्रह करोड़ तैंतीस लाख ,तीस हजार एक सौ रुपये मात्र)

6/5/14

2/ यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0, दिनांक–17.04.98, 253/वि0, दिनांक–11.03.2014 के आलोक में स्वीकृत है।

3/ वित्त विभाग के पत्रांक 400/वि0, दिनांक 16.05.04 के आलोक में यदि वेतन मद की किसी उप इकाई में राशि का आवंटन आवश्यकता से कम हुआ हो तो उक्त मद की राशि की पूर्ति वेतन/वेतन मद की किसी दूसरी उप इकाई में आवंटित राशि से की जा सकती है।

4/ राशि की निकासी एवं व्ययन में वित्त विभाग के अद्यतन आदेशों–निदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

5/ आवंटित राशि के विरुद्ध निकासी का लेखा सत्यापन महालेखाकार कार्यालय, पटना से कराये जाने के संबंध में समय–समय पर प्राप्त वित्त विभाग के निदेशों एवं इस विभाग के पत्रांक–538/रा0, दिनांक–30.07.05 एवं 1007/रा0, दिनांक–06.12.06 के आलोक में यथासमय कार्रवाई की सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी दी जाए।

6/ राशि की निकासी एवं व्ययन में बिहार वित्त नियमावली, बिहार कोषागार संहिता, बजट मैनुअल एवं वित्तीय अनुशासन संबंधी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0, दिनांक–17.04.98 तथा समय–समय पर निर्गत तत्संबंधी आदेशों–निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

7/ आबंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की सारी जबावदेही संबद्ध निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8/ बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के आलोक में त्रैमासिक व्यय की सूचना, प्रत्येक तिमाही **(जून, सितम्बर, दिसम्बर एवं मार्च)** के अन्त में विभागीय फैक्स (0612–2520124)/स्पीड पोस्ट/विशेष दूत से अधोहस्ताक्षरी को संलग्न प्रपत्र (सं०–बजट–01/रा०, 2014–15) में उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

9/ संबंधित शीर्ष के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले वार्षिक व्यय का इकाईवार आकलन **दिनांक 15 जुलाई, 2014** से पहले निश्चित रूप से कर लिया जाए और आवश्यकता से अधिक/कम राशि रहने की स्थिति में अंतरिम प्रत्यर्पण/अतिरिक्त आबंटन के लिये मांग–पत्र संलग्न प्रपत्र (सं०–बजट रा०–02/रा०, 2014–15) में ही भेजा जाए। सामान्य स्थिति में **15 जुलाई, 2014** के बाद प्राप्त मांग पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

10/ **वित्तीय वर्ष 2015–16 का बजट प्राक्कलन** संलग्न विहित प्रपत्र (सं०–बजट रा०– 03 / 2014–15) में तैयार कर **दिनांक 15 जुलाई, 2014** तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दिया जाय। विलम्ब से प्राप्त बजट प्राक्कलन पर विचार नहीं किया जा सकेगा तथा इस से उत्पन्न होने वाली स्थिति की जिम्मेवारी आपकी होगी।

11/ चालू वित्तीय वर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्त आवंटन, कुल व्यय की गई राशि, कुल अवशेष तथा कुल प्रत्यर्पित की जाने वाली राशि की सूचना संलग्न प्रपत्र (सं०–बजट रा०–04/रा०, 2014–15) में 31 मार्च, 2015 तक निश्चित रूप से इस विभाग को दे दी जाए ताकि समेकित प्रत्यर्पण प्रतिवेदन वित्त विभाग को यथासमय उपलब्ध कराने में कोई कठिनाई नहीं हो सके।

अनुलग्नकः–

1. त्रैमासिक व्यय प्रतिवेदन का प्रपत्र।
2. अतिरिक्त मांग–पत्र/अंतरिम प्रत्यर्पण प्रतिवेदन का प्रपत्र।
3. वित्तीय वर्ष–2015–16 के बजट प्राक्कलन का प्रपत्र।
4. प्रत्यर्पण प्रतिवेदन (वर्ष : 2014–15) का प्रपत्र।

विश्वासभाजन,

95/21 5/5

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या– बजट–02/रा0–2014–15/ 02 आ०५० **/रा0, पटना, दिनांक–** 6.5.14

प्रतिलिपि : सभी सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

95/21 5/5

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

ज्ञाप ज्ञाप संख्या– बजट–02/रा0–2014–15/ 02 आ०५० **रा0, पटना, दिनांक–** 6.5.14

प्रतिलिपि : सभी सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

95/21 5/5/14

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

G:\Allotment\1st.allotment 2053-(2014-15).doc